हरि किश

अनुमति की शर्तें।

(i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व
नहीं करती है।

(ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, धा
अन्य) होने की स्थिती मे निगम का कोई उत्तरदायित्व
तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी

(iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को
करेगा।

(IV) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृ
की जा सकती है।

एकल खण्ड की केवल आवासीय प्रयोजन।

कार्यालय नग. [illegible] धपुर

आवेदन क्रमांक 87 दिनांक 14/05/2019

प्रार्थी हरिकिशन शर्मा S/O श्री रामरतन श

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P. No: 3

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र का. [illegible] पेश नेहरू नगर

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 5,722/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1005/22217, 22218

दिनांक 14/05/2019 को जमा करा दी हैं।

जोन 1

आवासीय

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

नक्शा प्राप्त किया।